

AIM मुख्य परीक्षा वैल्यू एडिशन

शासन व्यवस्था

सूचना का अधिकार

परिचय (INTRODUCTION)

द्वितीय एआरसी (2 ARC) ने आरटीआई को सुशासन की मुख्य कुंजी के रूप में परिभाषित किया। सुशासन के चार तत्व हैं- पारदर्शिता, जवाबदेही, पूर्वानुमेयता और भागीदारी। सुशासन की कुंजी जवाबदेही है जो सूचना प्राप्त करने में आसानी से खुलती है, सूचित नागरिक सर्वोत्तम जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। सूचना के अधिकार को सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करने और जन-केंद्रित शासन की शुरुआत करने की कुंजी के रूप में देखा गया है। सूचना तक पहुंच गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों को सार्वजनिक नीतियों और कार्यों के बारे में जानकारी मांगने और प्राप्त करने के लिए सशक्त बना सकती है, जिससे उनका कल्याण हो सकेगा।



आरटीआई अधिनियम की मुख्य विशेषता (SALIENT FEATURES OF the RTI Act):

- 1. दायरा (Scope):** आरटीआई (RTI) अधिनियम केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है। इसमें सरकारी विभाग, मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित कोई भी अन्य निकाय शामिल हैं।
- 2. सूचना का अधिकार (Right to Information):** अधिनियम प्रत्येक नागरिक को रिकॉर्ड, दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों के रूप में सार्वजनिक अधिकारियों से जानकारी का अनुरोध करने का अधिकार देता है।
- 3. समय सीमा (Timeframe):** अधिनियम यह कहता है कि सार्वजनिक प्राधिकरण आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सूचना के अनुरोध का जवाब देते हैं। देरी या इनकार के मामले में, आवेदक अपील दायर कर सकता है। अत्यावश्यकता के मामले में, आवेदक 48 घंटों के भीतर जानकारी का अनुरोध कर सकता है, और पीआईओ (PIO) को इस समय सीमा के भीतर जवाब देना होगा।
- 4. अपवाद (Exceptions):** अधिनियम कुछ छूट निर्दिष्ट करता है जहां सार्वजनिक अधिकारी जानकारी प्रदान करने से इनकार कर सकते हैं। अधिनियम की धारा 8 ऐसे सभी मामलों को प्रकटीकरण से छूट देती है।
 - ऐसी जानकारी, जिसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या अपराध भड़केगा।
 - ऐसी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हो, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध न हो, या जो व्यक्ति की गोपनीयता पर अनुचित आक्रमण का कारण बने।

- 1872 में अधिनियमित भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123, विभाग के प्रमुख की अनुमति के बिना अप्रकाशित आधिकारिक रिकॉर्ड से साक्ष्य देने पर रोक लगाती है, जिसके पास मामले में प्रचुर विवेक होता है। अधिनियम में “गुप्त” शब्द या वाक्यांश “आधिकारिक रहस्य” को परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए, लोक सेवक किसी भी चीज को “गुप्त” के रूप में वर्गीकृत करने के विवेक का आनंद लेते हैं।
- 5. **व्हिसलब्लोअर्स को सुरक्षा (Protection to Whistleblowers):** अधिनियम उन व्हिसलब्लोअर्स को सुरक्षा प्रदान करता है जो सार्वजनिक डोमेन में भ्रष्टाचार, कदाचार या गलत काम को उजागर करने वाली जानकारी का खुलासा करते हैं।
- 6. **अपीलीय प्राधिकारी (Appellate Authorities):** अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकारियों के निर्णयों के खिलाफ अपील और शिकायतें सुनने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर अपीलीय प्राधिकारियों की स्थापना करता है।

जुर्माने में रुपये तक का जुर्माना शामिल है। समय पर सूचना उपलब्ध न कराने या भ्रामक सूचना देने पर 25,000 रुपये और अनुशासनात्मक कार्रवाई, जिसमें सेवा से निलंबन या बर्खास्तगी भी शामिल है।

आरटीआई का महत्व (Significance of RTI)

1. **पारदर्शिता को बढ़ावा (Promotion of transparency):** आरटीआई नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी मांगने का अधिकार देता है। जिससे शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है।
2. **भ्रष्टाचार से निपटना (Tackling corruption):** सूचनात्मक पारदर्शिता से शासन और प्रशासन में गलत कामों का खुलासा होता है। उदाहरण के तौर पर 2जी घोटाला और आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में भ्रष्टाचार आरटीआई के कारण सार्वजनिक डोमेन में आया।
3. **नागरिकों को सशक्त बनाना (Empowering citizens):** नागरिक अपने कल्याण, विभिन्न योजनाओं के तहत अधिकारों आदि के बारे में जानकारी मांग सकते हैं, जिससे लोग प्रशासन से अपना बकाया मांगने में सक्षम हो सकते हैं।
4. **जवाबदेही बढ़ाना (Enhancing Accountability):** सूचना की उपलब्धता जवाबदेही को लागू करती है। उदाहरण के लिए आरटीआई के माध्यम से उपलब्ध जानकारी ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखा परीक्षा को सक्षम बनाती है।
5. **लोकतंत्र को गहरा बनाना (Deepening Democracy):** सूचनात्मक पारदर्शिता से शासन में लोगों की भागीदारी बढ़ती है और एक स्वस्थ और जीवंत नागरिक समाज का निर्माण होता है।

आरटीआई से जुड़ा मामला (ISSUE RELATED TO RTI)

गोपनीयता की संस्कृति (Culture of Secrecy): लोकतंत्र में पारदर्शिता एक आदर्श होनी चाहिए और गोपनीयता प्रतिबंधात्मक होनी चाहिए। 1923 के आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम जैसे कानून, सूचना के मुक्त आवागमन पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाते रहते हैं, जिसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी कोई असर नहीं पड़ता है।

बढ़ती लंबितता (Rising pendency): मुद्दों में महत्वपूर्ण बैकलॉग मामले, लंबी सुनवाई के लिए प्रतीक्षा समय, प्रतिबंध लगाने में झिझक और आयोगों के संचालन में बढ़ती गोपनीयता शामिल हैं। 3 लाख से अधिक आरटीआई आवेदन लंबित हैं।

कम जन जागरूकता (Low Public Awareness): भारत में आम जनता अपने दायित्वों और अधिकारों से बहुत अनभिज्ञ है। ज्ञान और शिक्षा की कमी इसके कुछ कारण हैं। आगे के शोध से ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित समूहों में ज्ञान के खराब स्तर का पता चला।

जानकारी की खराब गुणवत्ता (Poor quality of information): अपर्याप्त प्रशिक्षण, खराब रिकॉर्ड रखने की प्रथाओं के कारण घटिया गुणवत्ता की जानकारी की आपूर्ति होती है जो सार्वजनिक हित में नहीं होती है।

क्षमता संबंधी मुद्दे (Capacity issues):

- केंद्र और राज्य स्तर पर सूचना आयुक्तों की अपर्याप्त संख्या।
- पीआईओ के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का अभाव।
- फील्ड कार्यालयों से जानकारी एकत्र करने के लिए अप्रभावी रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रियाओं के कारण आरटीआई आवेदनों पर कार्रवाई में देरी होती है।

आरटीआई अधिनियम को कमजोर करना (Dilution of RTI act): आरटीआई अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2019, केंद्र सरकार को संघीय और राज्य दोनों स्तरों पर सूचना आयुक्तों के लिए रोजगार के नियम और शर्तें निर्धारित करने का अधिकार देता है। इससे सीआईसी (CIC) की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर असर पड़ा है।

तुच्छ आरटीआई आवेदन (Frivolous RTI application): यह देखा गया है कि आरटीआई मामलों में लोकस्टैंडी मानदंड की अनुपस्थिति के कारण कई याचिकाकर्ता आरटीआई कानून का दुरुपयोग करते हैं। इससे सार्वजनिक अधिकारियों का समय बर्बाद होता है और उनके काम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

जुर्माना लगाना अपर्याप्त (Inadequate imposition of penalty): आयोगों ने 95% मामलों में जुर्माना नहीं लगाया जो पीआईओ की जवाबदेही को कमजोर करता है और आरटीआई के कामकाज को प्रभावित करता है।

आरटीआई कार्यकर्ताओं को खतरा (Threat to RTI activists): कुछ आरटीआई कार्यकर्ताओं को खतरा है जो गलत काम को उजागर करने के लिए जानकारी तलाश रहे हैं। कॉमनवेलथ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) (CHRI) के अनुसार, पूरे भारत में 99 आरटीआई अधिवक्ताओं की मृत्यु हो गई है।

स्वतः संज्ञान प्रकटीकरण का अभाव धारा 4 के तहत स्वतः संज्ञान प्रकटीकरण प्रावधान के तहत सार्वजनिक संस्थाओं को जनता के अनुरोधों के जवाब के बजाय नियमित आधार पर और स्वतंत्र रूप से जनता को जानकारी जारी करने की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका अभ्यास शायद ही कभी किया जाता है।

पश्चिमी गोलार्ध (WAY AHEAD)

- **स्वैच्छिक प्रकटीकरण का अभ्यास (Practicing voluntary disclosure):** यह प्रणाली में पारदर्शिता लाएगा, आम लोगों को होने वाली परेशानी को कम करेगा। इससे लंबित मामलों में भी कमी आएगी।
- **आधिकारिक रहस्य अधिनियम और आरटीआई के बीच संघर्ष को हल करना (Resolving conflict between Official secrets act and RTI):** दो कानूनों के बीच संघर्ष को हल करने के लिए रहस्यों को वर्गीकृत करने के उद्देश्यपूर्ण मानदंड तैयार करने की आवश्यकता है। इस संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में प्रासंगिक खंडों को शामिल करने के साथ ओएसए अधिनियम को बदलने की दूसरी एआरसी की सिफारिश का भी पालन किया जा सकता है।
- **क्षमता निर्माण के उपाय (Capacity building measures):** आरटीआई को कुशल तरीके से लागू करने के लिए पीआईओ का प्रशिक्षण, सार्वजनिक रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण आदि करने की आवश्यकता है। द्वितीय एआरसी ने सभी सार्वजनिक अभिलेखों के आधुनिकीकरण, पर्यवेक्षण और निरीक्षण के लिए प्रत्येक राज्य में सार्वजनिक अभिलेख कार्यालय स्थापित करने की सिफारिश की।
- **सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना (Increasing Public Awareness):** यह ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो, टेलीविजन और प्रिंट मीडिया, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से जागरूकता अभियान शुरू करके किया जा सकता है। फालतू आरटीआई आवेदनों को रोकने के लिए आरटीआई के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।
- **सीआईसी और एसआईसी को सशक्त बनाना (Empowering CIC AND SIC'S):** आरटीआई के कार्यान्वयन को नजरअंदाज करने के लिए सीआईसी और एसआईसी को कानूनी, संस्थागत और वित्तीय रूप से मजबूत करने की आवश्यकता है।
- **आरटीआई से छूट को कम करना (Minimisation of exemptions from RTI):** आरटीआई से छूट को कम किया जाना चाहिए और केवल निजता के अधिकार और व्यापक सार्वजनिक हित के मामलों में ही इसका पालन किया जाना चाहिए।

निर्णय (JUDGEMENTS)

सुप्रीम कोर्ट आरटीआई के अंतर्गत आता है (Supreme Court Comes under the RTI)

सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 में दिल्ली HC के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही साथ-साथ चलती है और पारदर्शिता न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर नहीं करती है। सूचना का अधिकार और निजता का अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय से जानकारी देने का निर्णय लेते समय उन्हें संतुलित करना होगा। इसके अलावा, न्यायालय ने सूचना आयुक्त से गोपनीयता के अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए सीजेआई के कार्यालय से जानकारी मांगने वाले आवेदनों पर विचार करते समय आनुपातिकता का परीक्षण लागू करने को कहा है।

आरटीआई ने शासन और प्रशासन में पारदर्शिता के अभ्यास में बड़ा सुधार लाया है। शासन से जुड़ी गोपनीयता और गोपनीयता में बड़े बदलाव हुए हैं, जिससे प्रणाली में जवाबदेही आई है। लेकिन इसे डिजिटल शासन जैसे अन्य परिवर्तनों के साथ मजबूत और पूरक करने की भी आवश्यकता है। सेवाओं की कुशल डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए सेवाओं की समय पर डिलीवरी आदि।

व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 (Whistleblower Protection Act 2014)

व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 किसी भी व्यक्ति (यानी व्हिसलब्लोअर) को किसी लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार, शक्ति या विवेक के जानबूझकर दुरुपयोग, या आपराधिक अपराध की रिपोर्ट करने और ऐसे खुलासे की जांच करने या जांच कराने में सक्षम बनाता है। इसमें सभी लोक सेवक शामिल हैं, जिनमें मंत्री, संसद सदस्य, निचली न्यायपालिका, नियामक प्राधिकरण, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी आदि शामिल हैं। इस तरह के खुलासे एक निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी को किए जाते हैं, जिन्हें विवेकपूर्ण जांच करनी चाहिए और शिकायतकर्ता और लोक सेवक की पहचान छिपानी चाहिए।

- अधिनियम ऐसी शिकायत करने वाले व्यक्ति को उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी प्रदान करता है।
- कानून ने विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों को विस्तृत रूप से परिभाषित किया है। उदाहरण के लिए, किसी भी केंद्रीय मंत्री के खिलाफ शिकायत करने का सक्षम प्राधिकारी प्रधान मंत्री है।
- कानून गुमनाम शिकायतें करने की अनुमति नहीं देता है और स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि शिकायतकर्ता अपनी पहचान स्थापित नहीं करता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- शिकायत करने की अधिकतम समयवधि सात वर्ष है।
- छूट: यह अधिनियम विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम, 1988 के तहत गठित विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) कर्मियों और अधिकारियों पर लागू नहीं है।
- अपील की अदालत: सक्षम प्राधिकारी के किसी भी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर संबंधित उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।
- जुर्माना: कोई भी व्यक्ति जो लापरवाही से या दुर्भावना से शिकायतकर्ता की पहचान उजागर करता है, उसे 3 साल तक की कैद और 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- यदि खुलासा दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया है और यह जानते हुए भी कि यह गलत या गलत या भ्रामक है, तो व्यक्ति को 2 साल तक की कैद और 1000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 30,000.

वार्षिक रिपोर्ट: सक्षम प्राधिकारी अपनी गतिविधियों के प्रदर्शन की एक समेकित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है और इसे केंद्र या राज्य सरकार को सौंपता है जिसे आगे संसद या राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा, जैसा भी मामला हो।

व्हिसलब्लोअर अधिनियम आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 को खत्म कर देता है और शिकायतकर्ता को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सार्वजनिक हित का खुलासा करने की अनुमति देता है, भले ही वे बाद के अधिनियम का उल्लंघन करते हों लेकिन राष्ट्र की संप्रभुता को नुकसान नहीं पहुंचाते हों।

- 2015 में, एक संशोधन विधेयक पेश किया गया था जिसमें प्रस्ताव दिया गया था कि व्हिसलब्लोअर को 1923 के आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत वर्गीकृत किसी भी दस्तावेज को प्रकट करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, भले ही इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार के कृत्यों, सत्ता के दुरुपयोग या आपराधिक गतिविधियों का खुलासा करना हो। यह 2014 अधिनियम के अस्तित्व को कमजोर करता है।
- व्हिसल ब्लोअर्स के सामने आने वाली समस्याएं (Problems faced by Whistle Blowers)
- व्हिसलब्लोअर्स को व्हिसलब्लोइंग का काम करते समय गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कुछ समस्याएं ये हैं
- व्हिसलब्लोअर्स को सरकार, निगम और यहां तक कि समाज भी कुछ स्तर पर नापसंद करता है, कुछ देश उन्हें “देशद्रोही” भी कहते हैं। विकीलीक्स के जूलियन असांजे और एडवर्ड स्नोडेन की कहानी इस विचार का उदाहरण है।
- भावनात्मक संकट- व्हिसलब्लोअर्स को अलगाव और धमकाने के अलावा कार्यस्थल पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है जो अत्यधिक भावनात्मक संकट का कारण बनता है।
- रोजगार क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव- व्हिसलब्लोइंग को अभी भी नकारात्मक रूप से माना जाता है और इसे नियोजक द्वारा विश्वास का उल्लंघन माना जाता है जो रोजगार क्षमता को प्रभावित कर सकता है क्योंकि नियोजक कर्मचारी को ब्लैकलिस्ट कर सकता है और उसे नई नौकरी पाने में बेहद मुश्किल हो सकती है।
- महिला मुखबिरों को उपरोक्त समस्याओं के अलावा लिंग-आधारित भेदभाव का अनुभव हो सकता है।
- जीवन को खतरा- जैसा कि सत्येन्द्र दुबे और शनमुधन मंजूनाथ के मामलों में देखा गया है, व्हिसलब्लोअर को व्हिसलब्लोअर कर्तव्य के प्रदर्शन में अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है।
- ज्यादातर मामलों में व्हिसलब्लोअर्स को जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य निभाने के लिए कानूनी कार्रवाइयों, आपराधिक अधिग्रहण और झूठे मामलों का भी सामना करना पड़ता है।

नीतिशास्त्र मूल्य संवर्धन सामग्री

कीवर्ड (Keywords)	उदाहरण (E) - परिभाषा (D) - उद्धरण (Q)
नीति शास्त्र (ETHICS)	<p>E-> किसी टैक्सी ड्राइवर को एक यात्री का बटुआ मिला जिसमें नकदी और गहने थे वह होटल वापस गया और बटुआ वापस कर दिया।</p> <p>E-> सचिन तेंदुलकर ने अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र किया है कि कैसे उनके पिता चाहते थे कि वह एक अच्छे खिलाड़ी से ज्यादा एक अच्छे इंसान बनें। उन्हें मैदान के अंदर और मैदान के बाहर नैतिकता (ethics) को कायम रखने के लिए जाना जाता है।</p> <p>E-> नीति शास्त्र के साथ एक समस्या यह है कि इसे अक्सर हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यदि कोई समूह मानता है कि कोई विशेष गतिविधि गलत है तो वह उस गतिविधि का अभ्यास करने वालों पर हमला करने के औचित्य के रूप में नीति शास्त्र का उपयोग कर सकता है। उदाहरणार्थ: समलैंगिकता, नैतिक पुलिसिंग (moral policing), गौहत्या (cow lynching) आदि।</p>
D-> यह मानवीय क्रिया का उसके उचित और अनुचित होने के दृष्टिकोण से अध्ययन है।	<p>Q-> “दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करें, जैसा आप नहीं चाहते कि आपके साथ किया जाए”।</p> <p>Q-> कानून में, एक व्यक्ति दोषी है अगर वह दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। नीति शास्त्र में, वह दोषी है यदि वह केवल ऐसा करने के बारे में सोचता है। - इमैनुअल कांट</p> <p>Q-> “किसी उद्देश्य के लिए काम करें, वाहवाही के लिए नहीं। जीवन को अभिव्यक्त करने के लिए जियो, प्रभावित करने के लिए नहीं; अपनी उपस्थिति को ध्यान में लाने का प्रयास न करें, बस अपनी अनुपस्थिति को महसूस कराएँ।”</p>
2.नैतिक प्रबंधन और नैतिकता का प्रबंधन (Ethical management (EM)and Management of Ethics (MoE))	<p>E-> एक बार जेआरडी टाटा और मदन टैरेसा को एक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। समारोह स्थल के पास एक गरीब व्यक्ति भूख से बेहोश हो गया था। समय के पाबंद (punctual) होने के कारण जेआरडी ने उस गरीब व्यक्ति की मदद नहीं की। मदन टैरेसा ने उस व्यक्ति को देखकर पहले यह सुनिश्चित किया कि उसे मदद मिले और फिर वह समारोह में गई और इस तरह उन्हें काफी देर हो गई। यह घटना जेआरडी ने बताई, जिन्हें बाद में अपने किए पर पछतावा हुआ। (नैतिकता नियमों से अधिक महत्वपूर्ण है)।</p>
D-> “नैतिक प्रबंधन” का तात्पर्य व्यावसायिक प्रबंधन से है जो न केवल आर्थिक लक्ष्यों और कानूनी उत्तरदायित्व को पूरा करता है, बल्कि नैतिक आकांक्षाओं को भी पूरा करता है। “नैतिकता का प्रबंधन” से तात्पर्य किसी संगठन में आंतरिक प्रक्रियाओं, अनुपालन (compliance) और आचार संहिता के माध्यम से नैतिकता और मूल्यों के प्रबंधन से है।	<p>Q-> “आपको क्या करने का अधिकार है और क्या करना सही है, इसके बीच का अंतर जानना ही नैतिकता है।”</p> <p>Q-> इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। अच्छे लोग अच्छी नींद लेते हैं, लेकिन बुरे लोग जागने के घंटों का ज्यादा आनंद लेते हैं। - वुडी एलन।</p>
3. प्रत्यास्थता/लचीलापन (Resilience)	<p>E-> स्टीव जॉब्स ‘एप्पल’ से निकाले जाने को अपने जीवन की सबसे अच्छी बात मानते हैं। इसने उन्हें अपने जीवन के सबसे रचनात्मक दौर में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र कर दिया।</p> <p>E-> राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा को 2011 में लुटेरों ने चलती ट्रेन से धक्का दे दिया था। नतीजतन, उनका एक पैर काटना पड़ा। लेकिन बाद में वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला बनी।</p>

<p>D-> यह प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने और जीवन की चुनौतीपूर्ण घटनाओं से उबरने की क्षमता है।</p>	<p>Q-> “उत्साह (Enthusiasm) सामान्य बात है। सहनशक्ति (Endurance) दुर्लभ है।” - एंजेला डकवर्था</p>
<p>4. नैतिकता (Morality)</p>	<p>E-> चीन के एक शहर में एक 'नैतिकता' बैंक खोला गया है जिसके माध्यम से लोग अच्छे कर्मों से अर्जित अंकों को बाल कटाने और स्वास्थ्य जाँच जैसी मुफ्त सेवाओं के लिए विनिमय कर सकते हैं। E-> जब द्रौपदी ने युधिष्ठिर से पूछा कि जंगल में निर्वासित होने और दुर्योधन को राजा बनाए जाने के बाद भी नैतिक क्यों होना चाहिए, तो युधिष्ठिर ने कहा कि समाज में स्थायित्व और सामंजस्य के लिए नैतिक होना महत्वपूर्ण है, ताकि धर्म सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि मैं नैतिक हूँ क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ।</p>
<p>D-> यह वह विश्वास है कि कुछ व्यवहार उचित और स्वीकार्य योग्य हैं तथा अन्य व्यवहार अनुचित हैं।</p>	<p>Q-> "नैतिकता वह अभिवृत्ति (attitude) है जो हम उन लोगों के प्रति रखते हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से नापसंद करते हैं"। Q-> दांते एलघिएरी (Dante Alighieri) कहते हैं, "नरक में सबसे गर्म स्थान उन लोगों के लिए आरक्षित है जो नैतिक द्रष्टा के समय में अपनी तटस्थता बनाए रखते हैं"। Q-> हमारे पास वास्तव में, दो प्रकार की नैतिकताएँ एक साथ हैं: एक जिसका हम प्रचार करते हैं लेकिन अभ्यास नहीं करते हैं, और दूसरा जिसका हम अभ्यास करते हैं, लेकिन शायद ही कभी प्रचार करते हैं।- बर्टेंड रसेल</p>

भूगोल - वैल्यूएडिशन

हीटवेव

हीटवेव (HEATWAVE)

परिचय:

हीटवेव एक असामान्य मौसमी घटना है जिसमें सामान्य से उच्च तापमान की स्थिति उत्पन्न होती है, यह घटना भारत के उत्तर-पश्चिमी भागों में गर्मियों के मौसम के दौरान होने वाले सामान्य अधिकतम तापमान से अधिक तापमान को प्रदर्शित करती है।

हीटवेव की घटना सामान्य तौर पर मार्च और जून माह के बीच होती है, और कुछ विरल स्थितियों में जुलाई माह तक भी जारी रहती है। अत्यधिक तापमान और परिणामी वायुमंडलीय परिस्थितियाँ इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं क्योंकि ये घटना शारीरिक तनाव का कारण बनती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कभी-कभी मृत्यु भी हो जाती है।

हीटवेव कैसे उत्पन्न होती है?		
सामान्य उच्चतम तापमान वाले स्थान	यदि तापमान इससे अधिक हो तो हीट वेव उत्पन्न हो सकती है	यदि तापमान इससे अधिक हो तो भीषण हीट वेव उत्पन्न हो सकती है
40°C या उससे कम	5 से 6°C	7°C
40°C से अधिक	3 से 4°C	5°C से अधिक
या कोई भी स्थान	अधिकतम तापमान लगातार दो दिनों तक 45°C से ऊपर बना रहता है	अधिकतम तापमान लगातार दो दिनों तक 45°C से ऊपर रहता है।

इन मानदंडों को मौसम विज्ञान उपविभाग के कम से कम दो स्टेशनों में कम से कम दो लगातार दिनों तक पूरा किया जाना चाहिए। स्रोत: संसद प्रश्न तथा आईएमडी

भारत में हीटवेव की स्थिति के कारण (Causes of Heatwaves in India)

- ग्लोबल वार्मिंग (Global Warming):** भारत में बढ़ती हीटवेव की घटना का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग है, जो जीवाश्म ईंधन जलाने, वनों की कटाई और औद्योगिक उत्सर्जन जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। औसत तापमान में वृद्धि के कारण हीटवेव की बारम्बारता और तीव्र हीटवेव की घटनाएँ उत्पन्न हैं।
- शहरीकरण और शहरी ताप द्वीप प्रभाव (Urbanization and the Urban Heat Island Effect):** तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण “शहरी ताप द्वीप” विकसित हुए हैं, जहाँ शहर अपनी घनी आबादी, इमारतों और कंक्रीट की सतहों के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्मी को अवशोषित और उसे बनाए रखते हैं। यह घटना शहरी केंद्रों में हीटवेव के प्रभाव को बढ़ाती है।
- अल नीनो प्रभाव (El Nino Effect):** प्रशांत महासागर के गर्म होने की विशेषता वाली अल नीनो घटना वैश्विक मौसम पैटर्न को बाधित कर सकती है, जिससे भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक तापमान और वर्षा में बदलाव हो सकता है। अल नीनो घटनाओं की प्रत्याशित घटना हीटवेव की घटना को और तीव्र कर सकती है।
- वनों की कटाई और भूमि उपयोग में परिवर्तन (Deforestation and Land Use Changes):** जंगलों की बड़े पैमाने पर सफाई और भूमि उपयोग में परिवर्तन वनस्पति द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्राकृतिक शीतलन प्रभावों को कम करते हैं, जिससे क्षेत्रों में हीटवेव के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

हीटवेव का प्रभाव (Impact of Heatwaves)

- स्वास्थ्य पर प्रभाव (Health Impacts):** हीटवेव सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं, जिससे गर्मी से संबंधित बीमारियाँ जैसे हीट थकावट, हीटस्ट्रोक और हाइपरथर्मिया हो सकती हैं। इसका प्रभाव मुख्य रूप से शारीरिक रूप से कमजोर वर्ग समूह जैसेकि बुजुर्ग, बच्चे और पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति आदि पर विशेष रूप से पड़ता है। हीटवेव के दौरान मौतें तेजी से हो सकती हैं, खासकर जब उच्च तापमान के साथ-साथ उच्च आर्द्रता भी होती है, जिसे वेट बल्ब तापमान प्रभाव भी कहा जाता है।
- जल संसाधनों पर प्रभाव (Impact on Water Resources):** लंबे समय तक चलने वाली गर्मी की लहरों के कारणस्वरूप जल निकायों के सूखने और कृषि, घरेलू उपयोग और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए पानी की उपलब्धता के कम होने के कारण जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। इससे जल संसाधनों को लेकर संघर्ष हो सकता है और सिंचाई पद्धतियाँ और पानी पर निर्भर उद्योग प्रभावित हो सकते हैं।

- ऊर्जा पर प्रभाव (Impact on Energy):** एयर कंडीशनिंग और कूलिंग सिस्टम के बढ़ते उपयोग के कारण हीटवेव के दौरान बिजली की मांग बढ़ जाती है। इससे बिजली ग्रिड पर दबाव पड़ सकता है, जिससे ब्लैकआउट हो सकता है और आर्थिक गतिविधियाँ बाधित हो सकती हैं। कारणस्वरूप बिजली पहुँच के बिना विशेष वर्ग की आबादी विशेष रूप से प्रभावित होती है।
- कृषि पर प्रभाव (Agricultural Impacts):** गर्म लहरों से फसलों को काफी नुकसान हो सकता है, जिससे कृषि उत्पादकता कम हो सकती है और किसानों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। पशुओं में अधिक गर्मी का तनाव भी चिंता का विषय है, जिससे दूध उत्पादन और समग्र पशु स्वास्थ्य प्रभावित होता है।

हीटवेव प्रबंधन के लिए NDMA के दिशानिर्देश (NDMA Guidelines for Heatwave Management)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने भारत में हीटवेव के प्रबंधन के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश निम्नलिखित पर बिन्दुओं पर केंद्रित हैं:

- प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning Systems):** आगामी गर्मी की लहरों के संदर्भ में समुदायों को सचेत करने के लिए मजबूत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को लागू करना, जिससे समय पर तैयारी और प्रतिक्रिया की जा सके।
- जन जागरूकता अभियान (Public Awareness Campaigns):** लोगों को गर्मी की लहरों के खतरों और उन्हें बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना, जैसे कि हाइड्रेटेड रहना, चरम गर्मी के घंटों के दौरान बाहरी गतिविधियों से बचना और गर्मी से संबंधित बीमारियों के लक्षणों को पहचानना आदि।
- हीट एक्शन प्लान (Heat Action Plans):** राज्य और जिला स्तर पर हीट एक्शन प्लान (HAP) विकसित करना और लागू करना, जिसमें तैयारी, प्रतिक्रिया और शमन उपायों पर जोर दिया जाता है। इन योजनाओं के तहत कूलिंग सेंटर स्थापित करना, पानी और चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करना और पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना आदि शामिल है।
- भेद्यता मानचित्रण (Vulnerability Mapping):** हस्तक्षेप और संसाधनों को प्राथमिकता देने के लिए कमजोर आबादी और क्षेत्रों की पहचान करना और उनका मानचित्रण करना।
- क्षमता निर्माण (Capacity Building):** स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, आपदा प्रबंधन कर्मियों और स्थानीय अधिकारियों को हीटवेव आपात स्थितियों का प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना।

आगे की राह (Way Forward): हीटवेव के लिए शमन रणनीतियाँ (Mitigation Strategies for Heatwaves)

- जलवायु कार्यवाही और सतत विकास (Climate Action and Sustainable Development):** समावेशी विकास और पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) को उसकी वास्तविक भावना में लागू करना। वनरोपण और आर्द्रभूमि बहाली जैसे प्रकृति-आधारित समाधानों को हीटवेव के प्रभाव को कम करने के लिए जलवायु कार्य योजनाओं में एकीकृत किया जाना चाहिए।
- शहरी नियोजन और सतत शीतलन (Urban Planning and Sustainable Cooling):** शहरी नियोजन में निष्क्रिय शीतलन तकनीकों को अपनाना ताकि शहरी ताप द्वीप प्रभाव को कम किया जा सके। इन तकनीकों में पारंपरिक भारतीय वास्तुकला से प्रेरित हरी छतें, परावर्तक निर्माण सामग्री और प्राकृतिक वेंटिलेशन डिजाइन आदि शामिल हैं।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करना (Strengthening Public Health Infrastructure):** स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों की गर्मी से संबंधित बीमारियों के प्रबंधन की क्षमता को बढ़ाना, जिसमें सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर मौखिक पुनर्जलीकरण समाधान (ओआरएस), छायादार क्षेत्र और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता शामिल है।
- जल संरक्षण को बढ़ावा देना (Promoting Water Conservation):** गर्मी के दौरान स्थायी जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्षा जल संचयन, कुशल सिंचाई पद्धतियाँ और जल पुनर्चक्रण जैसे जल संरक्षण उपायों को लागू करना।
- वैश्विक सर्वोत्तम प्रथा से सीख (Global Best Practices):** गर्मी के प्रति शहरी लचीलापन सुधारने के लिए ब्राजील के फेवेलो उन्नयन का विकास और कोलंबिया की एकीकृत परिवहन प्रणालियों आदि जैसी वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना।

निष्कर्ष (Conclusion)

जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और अन्य कारकों के कारण भारत के लिए हीटवेव एक बढ़ती चुनौती है। एनडीएमए के दिशा-निर्देश हीटवेव के प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं, उनके प्रभाव को कम करने के लिए सरकार और समाज के सभी स्तरों पर समन्वित और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। जलवायु कार्यवाही, टिकाऊ शहरी नियोजन और प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों को एकीकृत करके, भारत हीटवेव के बढ़ते खतरे के खिलाफ लचीलापन बना सकता है और अपनी आबादी और अर्थव्यवस्था की सुरक्षा कर सकता है।